

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 17.05.2019

थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा 01 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाला एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 17.05.2019 को समय करीब 10.45 बजे इरफान पुत्र इदरीश निवासी मौ० शेखपेन थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जानगर पर सूचना अंकित करायी कि वह दिनांक 15.05.19 को शाम समय 07.20 बजे नमाज को जा रहा था। उसी समय रास्ते में उसके मौहल्ले के सरफराज पुत्र रियाजुद्दीन द्वारा वादी को रोककर तंमचे का भय दिखाकर 01 लाख रुपये की फिरौती दो दिन के अन्दर देने को कहा। न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना खुर्जानगर पर मु०अ०सं०-282/19 धारा 384 भादवि पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 17.05.19 को थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में नामित अभियुक्त सरफराज को मुण्डाखेडा चौराहे से समय करीब 14.40 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- सरफराज पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मौ० शेखपेन थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सरफराज एक शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व में कई बार जेल जा चुका है तथा थाना खुर्जानगर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी (एसएच-97ए) भी है। अभियुक्त सरफराज के विरुद्ध थाना खुर्जानगर पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

- 1- मु०अ०सं०-100/2007 धारा 392,411 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 2- मु०अ०सं०-327/2007 धारा 307 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 3- मु०अ०सं०-328/2007 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 4- मु०अ०सं०-717/2007 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 5- मु०अ०सं०-958/2011 धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 6- मु०अ०सं०-45/2012 धारा 110जी द०प्र०सं० थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 7- मु०अ०सं०-546/2016 धारा 386,323,504,506 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 8- मु०अ०सं०-805/2016 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 9- मु०अ०सं०-866/2017 धारा 307 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 10- मु०अ०सं०-867/2017 धारा 25/27 शस्त्र अधि० थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 11- मु०अ०सं०-442/2017 धारा 147,148,149,323,504,506,307,452,354ए भादवि खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 12- मु०अ०सं०-720/2018 धारा 354,506 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 13- मु०अ०सं०-282/2019 धारा 384 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री अरविन्द कुमार, प्रभारी निरीक्षक खुर्जानगर
2. उ०नि० प्रमोद कुमार
3. अन्य कर्मचारीगण।